



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**हरिद्वार— 249404**  
**Website-[www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in)**  
**दूरभाष सं0—01334—244143**

**विज्ञापन संख्या:: A-2 /D.E.O./Estb/2023**

**डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा—2023**

**Data Entry Operator, Uttarakhand Public Service Commission, Exam-2023**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	13 जनवरी, 2023
ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि	::	02 फरवरी, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क—Net Banking/Debit Card/Credit Card /UPI द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	02 फरवरी, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

**अति महत्वपूर्ण निर्देश**

1)	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा—2023 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 02 फरवरी, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2)	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन को सही सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3)	अभ्यर्थी उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 02 फरवरी, 2023 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
4)	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 02 फरवरी, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में अंक पत्र पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( <b>Result Declaration Date</b> ) अंकित न होने की दशा में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि ( <b>Marksheet Issuing Date</b> ) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) का अंकन हो, अंक—पत्र में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date) अंकित न होने की दशा में अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन किया जाय। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया

	जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
5)	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा “Online Application” प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही “Online Application” प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
7)	<p>आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।</p> <p>अभ्यर्थी पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन रद्द अवश्य कर लें। विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किये गये समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।</p>
8)	<p>आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण—पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) में सफल घोषित अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अहंता, अधिमानी अहंता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।</p> <p>अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p>
9)	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
10)	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अहंता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी एवं आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11)	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा), अभिलेख सत्यापन एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार

	पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट <a href="http://www.psc.uk.gov.in">www.psc.uk.gov.in</a> पर प्रसारित की जायेगी।
12)	अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई0मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी, इसलिये अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नम्बर व ई0मेल आवेदन पत्र में भरे।
13)	अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका (समय—समय पर यथासंशोधित) जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रयोगात्मक परीक्षा से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका (समय—समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनहूं घोषित कर दिया जायेगा।
14)	अभिलेख सत्यापन सूची हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा मूल अभिलेखों के साथ मिलान किया जायेगा।
15)	अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार नगर में आयोजित की जायेगी। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन—पत्र प्राप्त होने की दशा में अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन हरिद्वार के अतिरिक्त हल्द्वानी एवं अन्य नगरों में भी किया जा सकता है। प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में किया जायेगा। इस संबंध में अभ्यर्थी परिशिष्ट—2 का अवलोकन कर लें।
16)	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
17)	अभ्यर्थी अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) एवं प्रयोगात्मक परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट—1, न्यूनतम अर्हकारी अंक हेतु परिशिष्ट—3 तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप हेतु परिशिष्ट—4 का अवलोकन करें।

## 1— रिक्तियों का विवरण— कुल पद—05

(क) उर्ध्वाधर श्रेणीवार (Vertical Reservation) रिक्तियां—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	योग
01	00	01	01	02	05

(ख) क्षैतिज श्रेणीवार (Horizontal Reservation) रिक्तियां—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	उत्तराखण्ड महिला
00	00	00	00	01

- नोटः— 1. रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।
2. प्रश्नगत पद दिव्यांगता की उपश्रेणी **OL,OA,PD,PB** हेतु चिह्नित है। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
2. पद का स्वरूप :: अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशनयुक्त / (समूह—ग)
3. वेतनमान :: वेतन मैट्रिक्स—र० 25500—81100 लेवल—4
4. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :: (1) विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा भारत सरकार के **N.C.T.V.T.** द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एन्ड्री ऑपरेशन में व्यवसायिक प्रमाण—पत्र या स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/संगठन से अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था/संगठन जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो, से कम्प्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा।
- (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 8000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।
- टिप्पणीः— कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान (9000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा ) रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
5. अधिमानी अर्हता :: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—
- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- (दो) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
- (तीन) एन०एस०एस० का “सी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जायेगी।
6. समूह ‘ग’ के पद पर भर्ती के लिए अन्य (क) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत

**अनिवार्य /  
वांछनीय अर्हता**

है :—शासन की अधिसूचना संख्या—164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 के अनुसार 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।" उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

(ग) शासन के पत्रांक—809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।”

**7. आयु ::** आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**8. अधिकतम आयु :: सीमा में छूट** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : **1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में **05 वर्ष** की छूट अनुमन्य है। शासनादेश संख्या : **1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में **05 वर्ष** की छूट एवं दिव्यांगजनों को समूह 'ग' की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयुसीमा में **10 वर्ष** की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक—2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0 **406/XXX(2)2021-55(41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021** में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0 **124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020** द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा—निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “he ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt.jobs.”

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—11 / XXXI(2)/2022-30(2)2019  
दिनांक—16 फरवरी, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चों को  
आवेदन पत्र में दावित श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट अनुमन्य हैं।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या—29 / XXXI(3)/2019/03(1)/2019,  
दिनांक—05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के  
अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

## 9. आरक्षण

- (क) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के  
आधार पर अनुमन्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में  
उर्ध्वाधर/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।
- (ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल  
एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र  
होगा।
- (ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के  
समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-4” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी  
द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- (घ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिला  
मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के  
निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या —310 / XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016  
द्वारा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की  
अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन  
पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

## 10. राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय  
से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास  
करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, युगांडा और  
युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के  
किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु यह कि उपरोक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा

जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थीयों से पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा;

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हैं तो पात्रता प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

**टिप्पणी—** ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक है, किन्तु वह न तो जारी किया गया है और न ही देने से इन्कार किया गया है, परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय अथवा उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**11. चरित्र** :: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

**टिप्पणी—** संघ या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

**12. वैवाहिक प्रास्थिति** :: ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

**13. शारीरिक स्वस्थता** :: किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त तभी किया जायेगा जबकि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन

में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें।

#### 14. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

- (i) अन्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) पर जायें।
- (ii) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) पर जाकर **MenuBar**में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** पर क्लिक करें।
- (iii) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात **Basic Information** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (iv) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No.** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (v) **Login** करने के पश्चात **Educational Details** अथवा **Proceed To Next Step** बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें।

उसके पश्चात दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick**

- करने के बाद [Click here for Final Submission](#) पर विलक करें। तत्पश्चात [Print](#) [Application Form](#) पर विलक कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।
- (vi) [Final Submission](#) के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए [Login](#) कर [Cancel My Application](#) बटन पर विलक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को [Tick](#) कर [Proceed to Cancel](#) बटन पर विलक करें अथवा वापस जाने हेतु [Back](#) बटन पर विलक करें। [Proceed to Cancel](#) पर विलक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पर्जिंकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको [Enter](#) [OTP](#) वाली फील्ड्स पर दर्ज कर [Cancel Application](#) बटन पर विलक करें। आवेदन रद्द (cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- नोट 1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी [Email-Id/Mobile Number](#) एवं [Password](#) के माध्यम से [Login](#) करने के पश्चात [Update Personal Information](#) पर विलक कर, [PersonalInformation](#), [Update Educational Information](#) पर विलक कर, [Educational Qualification](#) एवं [Reload Images](#) पर विलक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई—मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को [Edit/Update](#) नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी [ukpschelpline@gmail.com](mailto:ukpschelpline@gmail.com) पर ई—मेल कर सकते हैं।
2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन—पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26. 55 रुपये है।)
4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद [Click here for Final Submission](#) बटन पर विलक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

15. **शुल्क** प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0 सं0	श्रेणी	आवेदन—शुल्क (₹0)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (₹0)	कुल शुल्क (₹0)
1.	अनारक्षित	150.00	26.55	176.55
2.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	150.00	26.55	176.55
3.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	60.00	26.55	86.55
4.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	150.00	26.55	176.55
5	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	26.55	26.55
6	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

**नोट :** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा— सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
2. अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business)Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली—2022 वेबसाइट [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।
3. अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परिणाम प्राप्त होने के पश्चात सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका—2022 में विहित प्राविधानों के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पश्चात तत्समय आवेदन—पत्रों/प्रमाण पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के संबंध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में

कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनहर्द अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) पर भी प्रसारित की जायेगी।
5. अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु 200 अंक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञापन के परिशिष्ट—1 में उल्लिखित हैं।
6. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड—** अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) दिया जायेगा—  
(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत् किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा।  
(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।  
(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
7. अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति—प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति—प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
8. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक

द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

9. परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाए क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।
10. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
12. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
13. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक ऐसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
14. हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
15. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के

**अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

16. **परीक्षा भवन में आचरण :—** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फेलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
17. **अँगूठे का निशान (Thumb Impression):—** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
18. आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
19. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
20. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in) का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
21. प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
23. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:**— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
24. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :—  
1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की

- धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पत्रक पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्घटनाकरण करना, जिनमें उत्तर पत्रक को फाड़ना, उत्तर पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर/किसी भी प्रकार की घड़ी या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।
25. निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

- (क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र।
- (ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।
- (ग) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
26. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

27. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 पर प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन भी सावधानी से कर लेना चाहिए।

SD/-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।

## परिशिष्ट-1

### डाटा एंट्री ऑपरेटर (समूह 'ग')

टिप्पणी— प्रश्न-पत्र में बहुविकल्पीय प्रकृति के 200 प्रश्न होंगे। भाग "क" में 60 प्रश्न होंगे, भाग "ख" में 90 प्रश्न होंगे, तथा भाग "ग" में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न समान अंकों का होगा। प्रश्न-पत्र 200 अंकों का तथा 03 घण्टे की समयावधि का होगा।

#### भाग—क

कम्प्यूटर से परिचय : परिचय, क्षमताएं, वर्गीकरण, कम्प्यूटरों के अनुप्रयोग एवं पीढ़ियां, कम्प्यूटरों का संक्षिप्त इतिहास, कम्प्यूटर और हाईवेयर, इनपुट/आउटपुट डिवाईसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी0पी0यू0), मैमोरी का संक्षिप्त परिचय, इनपुट डाटा : स्रोत एवं अवधारणाएं, कुंजीपटल, ग्राफिकल इनपुट डिवाईसेस : प्रोसेसिंग, सी0पी0यू0, ए0एल0यू0, सी0यू0 मैमोरी, यूनिट और बिट के विभिन्न प्रकार, बाईट, किलोबाईट, मेगाबाईट, और गीगाबाईट, कैशे मैमोरीज, सेमीकंडक्टर मैमोरी जैसे— रैम, रोम, प्रोम, इप्रोम, इइप्रोम।

आउटपुट डिवाईस और स्टोरेज डिवाईस: आउटपुट की आवश्यकता क्यों होती है?, मॉनीटर, प्रिंटर, इम्प्रैक्ट, नॉन-इम्पैक्ट प्रिटर्स, प्लोटर्स, स्टोरेज डिवाईस, प्राइमरी डिवाईस, सैकेन्ड्री डिवाइसिस, मैग्नेटिक डिस्क।

ऑपरेटिंग तंत्र: आपैरेटिंग तंत्र से परिचय, ऑपरेटिंग तंत्र का आर्किटेक्चर, बूटिंग प्रक्रिया, फाइलों के प्रकार, द्वितीयक भण्डारण वस्तुयें : एन0टी0एफ0एस0, नवीनतम अलग कर सकने योग्य भण्डारण वस्तुयें, हार्ड डिस्क, सी0डी0 और डी0वी0डी0, भण्डारण और आंकड़ा व्युत्पन्नता की अवधारणाएं और ट्रैक्स, सैक्टर्स, सिलंडर्स, बूट रिकार्ड, डिस्क पार्टिशन और फाईल आवंटन टेबल (एफ ए टी), सॉफ्टवेयर के प्रकार: तंत्र सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर , आपरेटिंग तंत्र के कार्य, इंटरप्रेटर, कम्पाइलर और एसेंबलर, मेनफ्रेम सिस्टम्स, डेस्कटॉप सिस्टम्स, मल्टीप्रोसेसर सिस्टम्स, डिस्ट्रिब्यूटिड सिस्टम्स, रियल टाईम सिस्टम्स, सिस्टम्स कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं, सिस्टम प्रोग्राम्स, प्रक्रिया की अवधारणा, डॉस प्रोम्प्ट, डॉस कमांड्स से परिचय।

डाटाबेस सिस्टम : मूलभूत अवधारणाएं, डाटाबेस अवधारणा की विशेषताएं, आंकड़ों के स्वरूप द्वारा अभिलेख ढूँढना, अभिलेख का संयोजन / विलोपन, वर्कशीट में रिकार्ड फिल्टरिंग करना, थ्री- स्कीमा आर्किटेक्चर और आंकड़ों की आत्म-निर्भरता, डाटा मॉडल, ई-आर मॉडल, आनुपातिक आंकड़ा मॉडल, एस0क्यू0एल0 प्रोग्रामिंग तकनीकें, आनुपातिक डाटाबेस डिजाइन।

संचार नेटवर्क: कम्प्यूटर नेटवर्क परिभाषा, लक्ष्य और अनुप्रयोग, नेटवर्क संरचना और आर्किटेक्चर, ओएसआई संदर्भ मॉडल सेवाएं, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, क्लाइंट-सर्वर मॉडल, आई0ई0ई0ई0 मानक, टी0सी0पी0 / आ0ई0पी0 मॉडल।

इंटरनेट और ई—मेल सेवाएँ: इंटरनेट से परिचय, सूचना सुपर हाईवे, नेटवर्क के प्रकार, इंटरनेट के मूलभूत उपयोग, इंटरनेट प्रशासन, विभिन्न पीढ़ियों में प्रयुक्त प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम: डोमेन और पता, डोमेन नेम सिस्टम (डी0एन0एस0), इंटरनेट अभिगमन की विधियां, वर्ल्ड वाइड वेब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू), इंटरनेट की आवश्यकता, इंटरनेट की कार्य प्रणाली, डायल—अप नेटवर्क विजार्ड के द्वारा इंटरनेट का कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में विस्तृत जानकारी, वेब ब्राउजर्स से परिचय।

**मल्टीमीडिया:** मल्टीमीडिया क्या है?, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से परिचय, एनिमेशन से परिचय : एनिमेशन के विभिन्न प्रकार, एनिमेशन तकनीकें, डिजिटल आडियो, वीडियो और फोटोग्राफी, ग्राफिक्स की अवधारणाएं, ग्राफिक उपकरण: एडोब फैमिली, मीडिया प्लेयर के द्वारा सी0डी0 परिचालन, ध्वनि रिकार्डर के साथ कार्य करना।

## भाग— ख

**विंडोज़:** ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?, इसकी आवश्यकता क्यों है?, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने हैं?, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है?, विंडोज के लिए प्रायः प्रयुक्त शब्द, विंडोज से परिचय, विंडोज की विशेषताएं, विंडोज में प्रायः प्रयुक्त शब्द, टॉस्कबार: टॉस्कबार क्या है?, इसके कार्य क्या है?, लांचिंग पैड की सहायता से अनुप्रयोग आरम्भ करना, टाइटल बार तथा बटनों की व्याख्या, अनुप्रयोगों के बीच स्विचिंग, टॉस्कबार का आकार और स्थिति परिवर्तित करना, टॉस्कबार की विशेषताएं, डेस्कटॉप : डेस्कटॉप से परिचय, डेस्कटॉप के मुख्य आइकॉन, डेस्कटॉप की विशेषताएं, एक्सप्लोर विंडो में नेटवर्क नेबरहुड, शेयरिंग, फाईलों और फोल्डरों की शेयरिंग, हार्ड डिस्क की शेयरिंग, प्रिंटरों की शेयरिंग, किसी डिवाईस को अरथाई रूप से जोड़ना।

**कंट्रोल पैनल:** कंट्रोल पैनल से परिचय, कंट्रोल पैनल में उपकरण, ग्राहयता विकल्प, नए हार्डवेयर जोड़ना, प्रोग्राम जोड़ना / हटाना, दिनांक / समय, प्रदर्शन, फॉटंस, कुंजी पटल, माउस, मल्टीमीडिया पासवर्ड, प्रिटर्स, रीजनल सैटिंग, ध्वनियाँ।

**ऑफिस ऑटोमेशन:** विंडोज क्या है?, सॉफ्टवेयर का सूट क्या है?, आफिस प्रोग्राम में चयन करना, उपकरण और मैन्यूज का प्रयोग करना, प्रलेख में कार्य करना, काटना, प्रतिलिपि तैयार करना और संयोजन, पलेख को सुरक्षित करना, सहायता लेना, विंडोज के अन्तर्गत वर्ड प्रोसेसिंग के लाभ, विंडोज के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न वर्ड प्रोसेसर।

**वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर:** नया प्रलेख खोलना, विद्यमान प्रलेख खोलना, हाल में ही खोली गई फाईलें, प्रलेख मैन्यू से खोलना, फाईल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, अपना पृष्ठ व्यवस्थित करना, पृष्ठ आकार और आमुख का चयन करना, पृष्ठ आकार परिवर्तित करना, आमुख परिवर्तित करना, हाशिया सैट करना, पृष्ठ केन्द्रित करना, पृष्ठ ब्रेक नियंत्रित करना, प्रलेख में टंकण करना, आज का आंकड़ा प्रविष्ट करना, प्रलेख में इधर—उधर जाना, अनुभाग बनाना, अनुभाग ब्रेक इन्सर्ट करना, अनुभाग की व्यवस्थित करना, सैक्षण को देखना, कॉलम का प्रयोग करना, पृष्ठ क्रमांक

अंकित करना, स्वयं के द्वारा, फाईल को सुरक्षित करना, वर्ड से बाहर निकलना, टैक्स्ट को व्यवस्थित करना, हैडर और फुटर बनाना, मेल मर्ज, टैम्प्लैट्स, विजार्ड और प्रिंटिंग तकनीके।

**स्प्रैड शीट सॉफ्टवेयर—** स्प्रैड शीट से परिचय, एक्सैल से परिचय, एक्सैल में फाईल प्रबंधन, नई वर्कबुक बनाना, वर्कशीट में इधर-उधर जाना, फार्मटिंग, फार्मूले और फंक्शंस जोड़ना, बड़े डाटाबेस, फार्मेट डाटा में अतिरिक्त सुविधाएं, चार्ट और मान चित्र, बहु वर्कशीट में कार्य करना, एक्सैल में प्रिंटिंग, डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना।

**प्रस्तुतीकरण साफ्टवेयर—** परिचय, पावर प्याईट का अनुप्रयोग, पावर प्याईट में फाईल प्रबंधन, स्लाइड में टैक्सड और अन्य सामग्री वस्तुयें जोड़ना, टैम्प्लैट और मास्टर स्लाइड, एनिमेशन प्रभाव देना, लिंक्स और एक्शन बटन्स, प्रस्तुतीकरण की ट्यूनिंग करना।

**डाटाबेस सॉफ्टवेयर—** परिचय, एम0एस0-एक्सेस शुरू करना, विद्यमान डाटाबेस खोलना, डाटाबेस समझना, डाटाबेस बनाना, डाटाबेस आब्जेक्ट्स का प्रबंधन करना, टेबल बनाना, जोड़ना, सम्पादन और डाटा देखना, सोर्टिंग, कवेरी, प्रपत्र बनाना, प्रतिवेदन बनाना।

## भाग—ग (उत्तराखण्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन)

- (क) शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, जीवन शैली, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक रीति-रिवाजों के बारे में विशेष ज्ञान।
- (ख) सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक संसाधन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
- (ग) उत्तराखण्ड के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान।
- (घ) जनसंख्या और शहरीकरण।
- (ङ) ग्रामीण, स्थानीय प्रशासन और तात्कालिक घटनाएं।

## प्रयोगात्मक (केवल उत्तीर्ण प्रकृति)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा डाटा एन्ट्री कार्य के लिए अंग्रेजी में 9000 कुंजी-छाप प्रति घंटा और हिंदी में 8000 कुंजी-छाप प्रति घंटा की ई.डी.पी. मशीन (मशीनों ) पर गति परीक्षा ली जायेगी।

## **ANNEXURE-1**

### **DATA ENTRY OPERATOR (GROUP-C)**

**Note:** Question Paper will comprises of 200 questions of multiple choice. Section "A" will carry 60 questions, Section "B" will carry 90 questions and Section "C" will carry 50 questions. All questions will carry equal marks. The question paper will carry 200 marks and will be of 3 hours duration.

#### **PART A**

**Introduction to Computers:** Introduction, Capabilities, Classification, Application and Generation of computers, Brief History of Computers, Computers and Hardware, Input/Output Devices, Central Processing Unit (CPU), Brief Introduction to Memory, Input Data : Sources & Concepts, Keyboard, Graphical Input Devices, Processing: CPU, ALU, CU Memory, Unit and different type of bit, byte, kilobyte, megabyte and gigabyte ,Cache Memory, Semiconductor memories such as RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM.

**Output Devices and storage devices:** Why output is needed, Monitor, Printer, Impact, Non-impact Printers, Plotters, Storage Device, Primary Devices, Secondary Devices, Magnetic Disks.

**Operating System:** Introduction to Operating System, Architecture of Operating System, Booting Procedure, Types of Files, Secondary storage devices: NTFS, Latest removable storage devices, hard disks, CD's and DVD's, Storage and Retrieval of data- concepts and tracks, sectors, cylinders, boot record, disk partition and File Allocation Tables (FAT), Types of software: System software and application software, Functions of operating system, Interpreter, compiler and assembler, Mainframe systems, Desktop Systems , Multiprocessor Systems , Distributed Systems, Real time systems, System Components, Operating System Services, System Programs, Process Concept, DOS PROMPT, Introduction to Dos Commands.

**Database Systems:** : Basic concepts, Characteristics of Database approach, Finding Records With Data form ,Adding/Deleting records, Filtering records in a worksheet Three-schema Architecture and Data Independence, Data Models, E-R Model, Relational Data Model, SQL Programming Techniques, Relational Database Design.

**Communication Networks :** Computer Network Definition, Goals and Applications, Networks structure and architecture, OSI reference model, services, topology, transmission media, Client-Server model , IEEE standards, TCP/IP model.

**Internet & E-mail Services:** Introduction to Internet, Information Super Highway, Types of Network, Basic Uses of the Internet, Internet Administration, Protocol used in different Generation, World Wide Web, Domain Name System: Domain & Address, Domain Name System (DNS), Ways to access Internet , World Wide Web(WWW), Requirement of Internet, Working of Internet, Connection to Internet Using the Dial-Up Network Wizard, More about World Wide Web, Introducing Web Browsers.

**Multimedia:** What is a multimedia ?, Introduction to Multimedia softwares, Introduction to Animation: Different types of Animation, Animation Techniques, Digital audio, video and photography, Concepts of

Graphics, Graphics tools: Adobe Family, Playing of a CD with Media Player, Working with a Sound Recorder.

## **PART B**

**Windows :** Introduction to Operating System, What is an Operating system ?, Why is it required? What are the types of an Operating System ?, What are the functions of an Operating System ?, Terms often used for Windows, Introduction to Windows, Specialties of Windows , Terms often used in Windows, Taskbar: What is the Taskbar ?, What are its functions ?, Launching of applications with help of Launching Pad, Explanation of title bar and buttons, Switching between applications, Changing the size and position of the Taskbar, Properties of the Taskbar, Desktop: Introduction to the Desktop, Main Icons on the Desktop, Properties of the Desktop. Network Neighborhood in Explore window, Sharing, Sharing of files and folders, Sharing of hard disk, Sharing of Printers, Connecting a device temporarily.

Control Panel : Introduction to Control Panel, Tools under Control Panel, Accessibility Options , Add new Hardware, Add Remove Programs, Date/Time, Display, Fonts, Keyboard, Mouse, Multimedia Passwords, Printers, Regional Settings, Sounds.

**Office automation :**What is Windows, What is suite of Software, Selecting in Office Programs, Using Tools and Menus, Working in Documents, Cutting, Copying, and pasting, Saving a Document, Getting Help, Advantages of Word Processing under Windows, Various Word Processors available under Windows.

**Word Processing software:** Opening a New Document, Opening an Existing Document, Recently opened files, Opening from the Documents menu, Exporting and Importing File, Setting Up Your Pages, Choosing page Size and Orientation, Changing page Size, Changing Orientation, Setting Margins, Centering Page, Controlling Page Breaks, Typing in the Document, Inserting Today's Data, Moving Around in the Document, Creating Sections, Inserting a Section break, Formatting a Section, Viewing Sections, Using Columns, Numbering Pages, On Your Own, Saving a File, Quitting Word, Formatting Text, Creating Headers and Footers , Mail Merge ,Templates, Wizards and Printing Techniques

**Spread Sheet software :** Introduction to spreadsheets, Introduction to excel, File management in excel, Create a new workbook, Moving around in the worksheet, Formatting, Adding formulate and functions, Large databases, Additional facilities to format data, Charts and Maps, Work with multiple worksheets, Printing in Excel, Importing and Exporting of data.

**Presentation software:** Introduction, Applications of Power Point, File Management in Power Point, Add text and other objects to slides, Templates and Master slide, Giving Animation effects, Links and Action buttons, Tuning up of Presentation.

**Database software:** Introduction: Starting Ms-Access, Opening an existing database, Understanding database, Creating database, Managing database objects, Creating Tables, Adding, Editing and Viewing Data, Sorting, Query, Creating Forms, Creating Reports.

## **PART C ( General Studies related to Uttarakhand)**

- (a) Education, culture, agriculture, industry, trade, and commerce, living habits, geographical, political background, and special knowledge about social customs.
- (b) Cultural, economic, natural resources, and historical background
- (c) Contribution of science and technology in development of Uttarakhand
- (d) Population and urbanization
- (e) Rural, local administration, and contemporary events

## **Practical (only qualifying)**

The speed of 9000 key depression per hour in English and the speed of 8000 key depression per hours in Hindi for Data Entry work will be judged by conducting a speed test on the E.D.P. machine (s) by competent authority.

## परिशिष्ट-2

अभिक्षमता / प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा—

क्रम सं0	नगर (जिला)	नगर कोड
1	हरिद्वार (हरिद्वार)	01
2	हल्द्वानी (नैनीताल)	02

**नोट—** अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार नगर में आयोजित की जायेगी। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन—पत्र प्राप्त होने की दशा में परीक्षा का आयोजन हरिद्वार के अतिरिक्त हल्द्वानी एवं अन्य नगरों में भी किया जा सकता है। प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में किया जायेगा।

### परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा डाटा एन्ड्री ऑपरेटर, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा-2023 हेतु अभिक्षमता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
<b>1</b>	अनारक्षित	45%
<b>2</b>	अन्य पिछड़ा वर्ग	40%
<b>3</b>	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	40%
<b>4</b>	अनुसूचित जाति	35%

नोट- सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

## परिशिष्ट-4

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....  
 ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की ..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे  
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0)  
 आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में  
 मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका  
 परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
 ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम .....

मुहर : पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
 मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट  
 /तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....

तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की .....

..... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22 / 16 / 92—का—2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में  
सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

दिनांक : पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी  
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार<sup>1</sup>  
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982—2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक  
सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)  
अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और  
श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का  
पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)/(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही  
प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

## उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....  
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....  
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।  
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से  
कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका  
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है : -

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं  
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा  
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर  
नाम.....  
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट साइज का  
प्रमाणित फोटो

*matsheet*

## उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगजन के लिए प्रमाण पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ..... तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण—पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष  
द्वारा विधिवत प्रमाणित  
उम्मीदवार का हाल का  
फोटो जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0.....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु .....लिंग .....पहचान चिन्ह .....  
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्ठीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए)–दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैकिसस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैकिसस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी—बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '
3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/ करती हैं:-
- (i) एफ—अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (ii) पी पी—धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (iii) एल—उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (iv) के सी—घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (v) बी—झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (vi) एस—बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (vii) एस टी—खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (viii) डब्लू—चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (ix) एस ई—देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (x) एच—सुनने/ बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हाँ/ नहीं

(डा0.....)

(डा0.....)

(डा0.....)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के  
मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।